

क्रमांक:—एफ2(847)/डीओआईटीएण्डसी/2025/

जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री/श्रीमती प्रीती टांक, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन), आबकारी विभाग, मुख्यालय उदयपुर के द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा से **M.S.C. (C.S.) Second Year 2025-26** में **दूरस्थ माध्यम से अध्ययन हेतु अनुमति चाही गई है।** उक्त हेतु **सुश्री/श्रीमती प्रीती टांक**, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, मुख्यालय उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुश्री/श्रीमती प्रीती टांक, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन), आबकारी विभाग, मुख्यालय उदयपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005, दूरभाष:— (0147) 21322, 22226
वेबसाइट: <http://www.doitc.rajasthan.gov.in>, ई-मेल: — oic.estt@rajasthan.gov.in>.

वेबसाइट: <http://www.doitc.rajasthan.gov.in>, ई-मेल: — oic.estt@rajasthan.gov.in>.

RajKaj Ref No.:
19470328

eSign DSC

Document certified by RAMESHWAR LAL

SOLANKI, Head Of Office, Rajasthan, India.

Digitally Signed by
Rameshwar Lal Solanki
Designation: Head Of Office
Date :19-12-2025 11:07:42